

की  
सख्या  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई  
कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी  
तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-281/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत  
श्री लक्षणधारी उरॉव वगैरह — विक्रेता

प्रति

श्रीमती मंजू देवी — क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता (1) श्री लक्षणधारी उरॉव, पिता-स्व० मथुरा उरॉव, (2) श्री रविन्द्र कुमार, पिता-स्व० निर्मल उरॉव, ग्राम-बाना, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती मंजू देवी, पति-श्री रतन उरॉव, ग्राम-बाना, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला करारकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक 273/दिनांक 30.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के जमाबंदी विक्रेता सं०-1 के दादा एवं विक्रेता सं०-2 के परदादा रामचरण उरॉव के नाम से मांग पंजी II के पृष्ठ सं०-31/1 पर मांग चलता है। विक्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जनजाति) एवं क्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मेराल एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेतागण प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त हैं प्रस्तावित भूमि आवेदक विक्रेता के दखल-कब्जे में है।


अतः अंचल अधिकारी, मेराल के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदक विक्रेता (1) श्री लक्षणधारी उरॉव, पिता-स्व० मथुरा उरॉव, (2) श्री रविन्द्र कुमार, पिता-स्व० निर्मल उरॉव, ग्राम-बाना, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती मंजू देवी, पति-श्री रतन उरॉव, ग्राम-बाना, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।


भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
बाना	192	168	185	0.32	उ०-रास्ता, द०-मन्ति कुंवर, पू०-प्रताप उरॉव, प०-रामा उरॉव,
कुल रकबा:-				0.32	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

  
15/07/22  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

  
15/07/22  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा